Neutral Citation
2019 : CGHC : 19186-DB

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

26–6–2019 को निर्णय सुरक्षित

15–7–2019 को निर्णय पारित

रिट अपील संख्या 97/2008

{रिट याचिका (सी) संख्या 1467/2008 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित दिनांक 19–3–2008 के आदेश से उत्पन्न}

मोहम्मद अरशद खान, अधिवक्ता, आयु लगभग 32 वर्ष, पिता मोहम्मद अकरम खान, निवासी जामा मस्जिद स्ट्रीट, दुर्ग, तहसील एवं जिला दुर्ग (छत्तीसगढ़)

(याचिकाकर्ता)

---- अपीलकर्ता

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1. केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा महानिदेशक, 12 खंबा लेन, नई दिल्ली,
2. छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा नगर निरीक्षक, थाना दुर्ग (छ.ग.)
3. बार काउंसिल ऑफ इंडिया, 21 राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली।
4. सचिव, राज्य बार काउंसिल ऑफ छत्तीसगढ़, उच्च न्यायालय परिसर, बिलासपुर (छ.ग.)
5. श्री प्रकाश चौबे, आयु 70 वर्ष, उर्फ दीन दयाल चौबे, पिता डोल सिंगार चौबे उर्फ कतवारू चौबे, निवासी गिरधारी नगर, दुर्ग, तहसील एवं जिला दुर्ग (छ.ग.)
6. श्री प्रकाश चौबे, पिता श्री दल सिंगार चौबे, सेवानिवृत्त सहायक श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश सरकार, वर्तमान में वार्ड क्रमांक 1, कैरी रोड, चंदौली, उत्तर प्रदेश

---- उत्तरवादी

अपीलकर्ता के लिए:	श्री वी.जी. तामस्कर, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 1/सीबीआई के लिए: –	श्री बी. गोपा कुमार, सहायक सॉलिसिटर जनरल
उत्तरवादी संख्या 2/राज्य के लिए: –	श्री सिद्धार्थ दुबे, उप शासकीय अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 3 के लिए: –	श्री विमलेश बाजपेयी, अधिवक्ता
उत्तरवादी संख्या 5 के लिए: –	श्री बी.एन. मिश्रा और श्री टी.के. झा, अधिवक्तागण

माननीय श्री पी.आर. रामचंद्र मेनन, मुख्य न्यायाधिपति और

माननीय श्री संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

सी.ए.वी. निर्णय

संजय के. अग्रवाल, न्यायाधीश

1. यह रिट अपील विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध है, जिसके द्वारा अपीलकर्ता की मूल रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन श्री प्रकाश चौबे बनाम मोहम्मद के बीच आपराधिक प्रकरण संख्या 833/2006 को निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए प्रस्तुत की गई थी। अरशद खान के खिलाफ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग की अदालत में लंबित प्रकरण, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 501 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आरोप तय करने का आदेश भी शामिल है को कोई योग्यता नहीं पाते हुए निरस्त कर दिया गया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. उत्तरवादी संख्या 5 ने अपीलकर्ता के विरुद्ध क्षेत्राधिकार वाली आपराधिक अदालत के समक्ष भारतीय दंड संहिता की धारा 501 के अधीन अपराध के लिए आरोप तय करने के आदेश को निरस्त करने की मांग करते हुए एक रिट याचिका प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा आपराधिक अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 501 के अधीन दंडनीय अपराध के किए जाने का संज्ञान लिया है, जिसमें कहा गया है कि अपीलकर्ता ने उत्तरवादी संख्या 6 के खिलाफ इस अदालत के समक्ष रिट याचिका संख्या 3333/2003 प्रस्तुत की है और उक्त रिट याचिका के पैरा 6 में एक अपमानजनक बयान दिया है कि उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अधीन दंडनीय अपराध के लिए आपराधिक प्रकरण लंबित है, जो पूरी तरह से गलत और अपमानजनक है और उक्त रिट याचिका प्रस्तुत होने और उसे नोटिस जारी किए जाने पर उत्तरवादी संख्या 6 को आम जनता के बीच अपनी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है, इसलिए अपीलकर्ता दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि शिकायत के आरोपों से प्रथम दृष्टया भारतीय दंड संहिता की धारा 501 के अधीन आरोप तय करने के तत्व सामने आते हैं और माना कि अपीलकर्ता द्वारा उक्त रिट याचिका में जो बचाव किया गया है, वह परीक्षण के समय सुविधाजनक रूप से लिया जा सकता है और ऐसी स्थिति में, उक्त बचाव पर परीक्षण के दौरान विचार किया जा सकता है।

3. अपीलकर्ता/याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री वी.जी. तामस्कर ने कहा कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने यह मान कर गंभीर गलती की है कि प्रथम दृष्टया धारा 501 के अधीन अपराध का प्रकरण बनता है। प्रस्तुत की गई रिट याचिका अभी भी इस न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है और उत्तरवादी

संख्या 7 के विवरण में उक्त रिट याचिका में केवल यह उल्लेख किया गया है कि यह न्यायालय उत्तरवादी संख्या 10 के खिलाफ 1987 से लंबित सत्र परीक्षण के अभिलेख सहित अभिलेख को तलब कर सकता है। शिकायतकर्ता का प्रकरण हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों द्वारा दिए गए निर्णय के पैरा 102 के खंड (1) एवं (7) के अंतर्गत आता है, क्योंकि रिट याचिका. संख्या 3333/2003 की सूचना प्राप्त होने के तुरंत बाद, शिकायत एक जवाबी कार्रवाई के रूप में दर्ज की गई थी और अन्यथा भी, धारा 501 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है क्योंकि यह धारा 499 के नौवें अपवाद के अंतर्गत आता है।

4. उत्तरवादी संख्या 5 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बी.एन. मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही रूप से माना है कि प्रथम दृष्टया, शिकायत में धारा 501 के अंतर्गत आरोप तय करने के लिए तत्व उपलब्ध हैं और उठाए गए सभी तर्क बचाव के प्रकरण हैं, जिन्हें परीक्षण के दौरान उचित रूप से लिया जा सकता है। राम किशन फौजी बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य के प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के दृष्टिकोण में तैयार और प्रस्तुत की गई रिट अपील विचारणीय नहीं है। रिट अपील निरस्त किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और उपरोक्त प्रतिद्वंदी तर्कों पर विचार किया है तथा अभिलेखों का अत्यंत सावधानी से अध्ययन किया है।

6. इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने 22-2-2011 को इस रिट अपील की विचारणीयता पर संदेह व्यक्त किया था तथा प्रकरण को पूर्ण पीठ को संदर्भित किया था कि रिट अपील विचारणीय है या नहीं। पूर्ण पीठ ने दिनांक 31-8-2017 के आदेश द्वारा रिट अपील को विचारणीय माना था। चूंकि, वर्तमान प्रकरण में, उन्हीं पक्षों के बीच, पूर्ण पीठ ने पहले ही रिट अपील को विचारणीय माना था, इसलिए उत्तरवादी संख्या 5 द्वारा रिट अपील की विचारणीयता पर उठाई गई आपत्ति को निरस्त किया जाता है।

7. अब सवाल यह है कि क्या विद्वान एकल न्यायाधीश का यह मानना सही है कि प्रथम दृष्टया अपीलकर्ता के खिलाफ भा.द.सं. की धारा 501 के अधीन अपराध बनता है?

8. भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में मानहानि की परिभाषा इस प्रकार दी गई है: –

> "499. मानहानि.—जो कोई भी, बोले गए या पढ़े जाने वाले शब्दों द्वारा, या संकेतों या दृश्य चित्रणों द्वारा, किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाता या प्रकाशित करता है,

जिसका उद्देश्य नुकसान पहुंचाना है, या यह जानते हुए या यह विश्वास करने का कारण रखते हुए कि ऐसा लांछन ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा, उसे, इसके बाद अपेक्षित मामलों को छोड़कर, उस व्यक्ति की मानहानि करने वाला कहा जाता है।

स्पष्टीकरण 1. – मृत व्यक्ति पर कुछ भी लांछन लगाना मानहानि के बराबर हो सकता है, यदि लांछन उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है, यदि वह जीवित है, और उसके परिवार या अन्य निकट संबंधियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का इरादा रखता है।

स्पष्टीकरण 2. – किसी कंपनी या संघ या व्यक्तियों के समूह के बारे में लांछन लगाना मानहानि के बराबर हो सकता है।

स्पष्टीकरण 3. – किसी व्यक्ति के बारे में कोई लांछन लगाना मानहानि के बराबर हो सकता है। वैकल्पिक या विडंबनापूर्ण ढंग से व्यक्त किया गया कथन मानहानि के बराबर हो सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

स्पष्टीकरण 4. – किसी भी आरोप से किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हानि नहीं पहुँचती, जब तक कि वह आरोप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, दूसरों की दृष्टि में, उस व्यक्ति के नैतिक या बौद्धिक चरित्र को कम न करे, या उसकी जाति या व्यवसाय के संबंध में उसके चरित्र को कम न करे, या उस व्यक्ति की साख को कम न करे, या यह विश्वास न दिलाए कि उस व्यक्ति का शरीर घृणित अवस्था में है, या ऐसी अवस्था में है जिसे सामान्यतः अपमानजनक माना जाता है।"

9. भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का नौवां अपवाद, जो वर्तमान प्रकरण के लिए प्रासंगिक है, नीचे उद्धृत किया गया है: –

"नौवां अपवाद – किसी व्यक्ति द्वारा अपने या अन्य के हितों की सुरक्षा के लिए सद्भावनापूर्वक लगाया गया आरोप – किसी अन्य के चरित्र पर आरोप लगाना मानहानि नहीं है, बशर्ते कि आरोप उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के हितों की सुरक्षा के लिए सद्भावनापूर्वक लगाया गया हो, या सार्वजनिक भलाई के लिए लगाया गया हो।"

10. भारतीय दंड संहिता की धारा 499 का नौवां अपवाद आकर्षित करने के लिए, आरोप को

(i) सद्भावनापूर्वक लगाया गया होना चाहिए; और

(ii) इसे लगाने वाले व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति या सार्वजनिक भलाई के लिए लगाया गया हो।

11. भारतीय दंड संहिता की धारा 501 मुद्रण या उत्कीर्णन सामग्री से संबंधित है, जिसे मानहानिकारक माना जाता है, जो इस प्रकार है: –

> "501. ऐसी सामग्री का मुद्रण या उत्कीर्णन करना जो मानहानिकारक हो। – जो कोई किसी ऐसी सामग्री का मुद्रण या उत्कीर्णन करता है, यह जानते हुए या यह विश्वास करने का अच्छा कारण रखते हुए कि ऐसी सामग्री किसी व्यक्ति के लिए मानहानिकारक है, उसे दो वर्ष तक की अवधि के लिए साधारण कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा।

12. "प्रकाशित करना" का अर्थ है दूसरों को बताना या किसी तीसरे व्यक्ति को बताना। (वेबस्टर का व्यापक शब्दकोष – अंतर्राष्ट्रीय संस्करण देखें)। प्रकाशन तब पूरा होगा जब मानहानिकारक कथन बनाने या छापने के बाद उसे जनता के लिए उपलब्ध करा दिया जाए। (देखें कलेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज बनाम न्यू टोबैको कंपनी और अन्य)। इसमें प्रकाशन में न्यायालयों में प्रस्तुत की गई दलीलें, हलफनामे आदि शामिल हैं। (अजय कुमार पांडे, अधिवक्ता के प्रकरण में) केरल उच्च न्यायालय ने भी प्रभाकरन बनाम गंगाधरन के प्रकरण में माना है कि एक बार न्यायालय में कथन प्रस्तुत कर दिए जाने के बाद ऐसा कथन प्रकाशित माना जा सकता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. यह अब अच्छी तरह से स्थापित हो चुका है कि यदि न्यायिक कार्यवाही में किसी पक्ष पर शपथ पर या अन्यथा न्यायिक कार्यवाही में दिए गए कथन के संबंध में मानहानि के आपराधिक अपराध के लिए मुकदमा चलाया जाता है, तो उसकी आपराधिक देयता धारा 12 के प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए। भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अंतर्गत दिए गए अपवादों की सीमाओं से परे अंग्रेजी सामान्य कानून में लागू होने वाले पूर्ण विशेषाधिकार के सिद्धांत को भारतीय दंड संहिता द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। धारा 499 के अंतर्गत दिए गए 10 अपवादों में से किसी के अंतर्गत न आने वाला प्रत्येक मानहानिकारक कथन धारा 500 के अंतर्गत दंडनीय है। यह प्रश्न कि क्या किसी दिए गए प्रकरण में दिया गया कथन धारा 499 के दस अपवादों में से किसी के अंतर्गत आता है, इस पर केवल परीक्षण के बाद ही निर्णय लिया जाएगा और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 105 के अनुसार मानहानि या बदनामी को उन अपवादों में से किसी के अंतर्गत लाने का भार अभियुक्त पर है।

14. योग्य विशेषाधिकार के मामलों में, यह पर्याप्त नहीं है कि वादी यह प्रदर्शित कर दे कि आपत्तिजनक कथन झूठा और मानहानिकारक था, बल्कि वादी को यह भी साबित करना होगा कि कथन स्पष्ट दुर्भावना से किया गया था।

15. उपर्युक्त विश्लेषण के दृष्टिकोण में, वर्तमान प्रकरण के तथ्यों पर लौटते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने इस न्यायालय के समक्ष 14–1–2003 को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उत्तरवादी संख्या 6 के खिलाफ एक रिट याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें दिल्ली बार काउंसिल द्वारा जारी उसके नामांकन को निरस्त करने की मांग की गई थी और उत्तरवादी संख्या 6 द्वारा प्रतिरूपण के संबंध में विस्तृत जांच करने का निर्देश भी मांगा था और उस प्रकरण में, इस न्यायालय द्वारा 6–12–2003 को उत्तरवादी संख्या 6 को नोटिस जारी किया गया था। रिट याचिका में, पैरा 2 में, अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों के विवरण के बारे में बताया था। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को भी पक्षकार उत्तरवादी संख्या 7 के रूप में शामिल किया गया है, जिसमें उत्तरवादी संख्या 10 के विरुद्ध 1987 से भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के अंतर्गत सत्र परीक्षण का अभिलेख, जो फास्ट ट्रैक न्यायालय, दुर्ग के समक्ष लंबित है, मंगाने की मांग की गई है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. रिट याचिका के पैरा 2 में मंगाए जाने वाले अभिलेख के उपरोक्त विवरण अर्थात प्रतिवादियों के विवरण को भारतीय दंड संहिता की धारा 501 के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने का आधार बनाया गया है। उत्तरवादी संख्या 6 के अनुसार रिट याचिका की प्रति 18–12–2003 को प्राप्त हुई और उसने तुरंत शिकायत दर्ज की, जिसमें निम्नांकित बातें कही गईः –

> 3. यह कि (रिट पीटिशनर) अभियुक्त अच्छी तरह से जानता था कि परिवादी के विरूद्ध धारा 395 भारतीय दण्ड संहिता का प्रकरण किसी भी न्यायालय में न प्रस्तुत हुआ और न विचाराधीन है, अभियुक्त जानबूझकर परिवादी की साख को नष्ट एवं धूमिल करने के उद्देश्य एवं इरादा से कूटरचित एक रिट (याचिका) माननीय उच्च न्यायालय, छत्तीसगढ़ बिलासपुर में अपने अधिवक्ता श्री व्ही०जी० तामस्कर द्वारा प्रस्तुत कराया एवं जो डब्लयू०पी० नं०–3333/03 के अंतर्गत आर्टिकल 226 एवं 227 भारतीय संविधान के अधीन पंजीबद्ध हुआ, जिसकी नोटिस एवं याचिका की प्रति परिवादी के कार्यालय में दिनाँक 8/42/2003 को आयी और याचिका क्रमाँक–3333/03 की पृष्ट क्रमाँक–6 की ग्यारहवीं पँक्ति में यह अभिलिखित है कि उत्तरवादी क्रमाँक–10 (जो परिवाद–पत्र का परिवादी है)
>
> उपरोक्त तथ्य को पढ़कर परिवादी को आश्चर्य एवं मानसिक क्लेश भी हुआ साथ ही परिवादी के कार्यालय में बैठे दोनों पुत्रों को भी हैरानी हुयी कि 987 से डकैती का प्रकरण

अन्तर्गत धारा 395 भा०दं०विधान के अधीन एफ०एस०टी० न्यायालय में लंबित है और हम लोगों को मालूम भी नहीं । उस वक्त दो दीगर अधिवक्तागण ने पृष्ठ 6 की कण्डिका को पढ़ा उनके भी दिमाग में परेशानी हुयी और श्री प्रभात कुमार पाण्डेय अधिवक्ता, दुर्ग एवं श्री आर०एल० पाण्डेय, अधिवक्ता दुर्ग जाकर दोनों एफ०एस०टी० कोर्ट के मोहरीर के रजिस्टर को भी देखे और पाये की कोई भी प्रकरण अपराधिक अन्तर्गत धारा 395 भारतीय दण्ड विधान के अधीन न प्रस्तुत है और न लंबित है । अस्तु परिवादी की साख उनके माअधीन एवं परिचित अधिवक्ता के दृष्टि में भी कुछ देर के लिये प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।

4. यह कि नोटिस एवं याचिका क्रमाँक 3333/03 की प्रति मई शपथ पत्र की छायाप्रति इस परिवाद–पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा है जो अनुसूची 'अ" है और इस परिवाद–पत्र का अंग माना जावें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. शिकायत में दिए गए कथनों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर पता चलता है कि अपीलकर्ता ने प्रतिवादियों का विवरण देते समय केवल अभिलेख के विवरण के बारे में बताया है। वास्तव में, रिट याचिका के पूरे भाग में, शपथ पर कोई बयान नहीं दिया गया है कि उत्तरवादी संख्या 6 भा.द.सं. की धारा 395 के अधीन अपराध के लिए मुकदमा चला रहा है और उसका सामना कर रहा है। उत्तरवादी संख्या 10 के खिलाफ लंबित अभिलेख का विवरण देना शिकायतकर्ता/रिट याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अपमानजनक बयान देने के बराबर नहीं होगा।

18. जैसा कि पहले ही ऊपर कहा जा चुका है, भारत में दंड संहिता के अधीन मामलों में पूर्ण विशेषाधिकार लागू नहीं होता है, लेकिन योग्य विशेषाधिकार लागू होता है। इस प्रकार यदि किसी पक्षकार की दलील में कुछ ऐसे आरोप लगाए गए हैं जो पूरी तरह से सही नहीं हो सकते हैं, लेकिन सद्भावनापूर्वक लगाए गए हैं और बनाने वाले के हितों की रक्षा के लिए लगाए गए हैं, तो वे विशेषाधिकार प्राप्त हैं और उन्हें बनाने वाले व्यक्ति पर न तो मुकदमा चलाया जा सकता है और न ही मानहानि के लिए दोषी ठहराया जा सकता है।

19. बैजा बनाम बाबू के प्रकरण में, यह निर्धारित किया गया है कि किसी पक्षकार द्वारा सद्भावनापूर्वक और अपने हितों की सुरक्षा के लिए दिया गया कथन, और जो मुद्दे में प्रकरण के लिए प्रासंगिक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के अपवाद 9 के अंतर्गत आता है और विशेषाधिकार प्राप्त है। ऐसे कथन को अपवाद से बाहर निकालने के लिए स्पष्ट द्वेष साबित होना चाहिए।

20. बंबई उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा बाई शांता बनाम उमराव अमीर मलिक के प्रकरण में सतीश चंद्र चक्रवर्ती बनाम राम दयाल डे के प्रकरण में कलकत्ता उच्च न्यायालय की विशेष पीठ के निर्णय का अनुसरण किया गया, जिसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आपराधिक अभियोगों के संबंध में प्राप्त स्थिति और नागरिक कार्रवाइयों के संबंध में प्राप्त स्थिति के बीच अंतर को स्पष्ट किया है: – "हमारे निष्कर्षों को इस प्रकार संक्षेपित किया जा सकता है:

(i) यदि न्यायिक कार्यवाही में किसी पक्ष पर शपथ पर या अन्यथा दिए गए बयान के संबंध में मानहानि का मुकदमा चलाया जाता है, तो उसकी देयता भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के प्रावधानों के संदर्भ में निर्धारित की जानी चाहिए। लेटर्स पेटेंट के अधीन, प्रश्न को भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों के आवेदन द्वारा हल किया जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। न्यायालय इंग्लैंड के सामान्य कानून से प्राप्त अपवादों या सार्वजनिक आधारों पर आधारित अपवादों को शामिल नहीं कर सकता है। नीति। परिणामस्वरूप, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति केवल भारतीय दंड संहिता की धारा 499 में उल्लिखित योग्य विशेषाधिकार के लाभ का हकदार है।

(ii) यदि न्यायिक कार्यवाही में किसी पक्षकार पर शपथ पर या अन्यथा दिए गए कथन के संबंध में मानहानि के लिए क्षतिपूर्ति के लिए सिविल न्यायालय में मुकदमा चलाया जाता है, तो विषय पर लागू वैधानिक नियमों की अनुपस्थिति में उसका दायित्व न्याय, इक्विटी और अच्छे विवेक के सिद्धांतों के संदर्भ में निर्धारित किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण के पक्ष में न्यायिक राय का एक बड़ा हिस्सा है कि ऐसी परिस्थितियों में लागू न्याय, इक्विटी और अच्छे विवेक के सिद्धांत इंग्लैंड के सामान्य कानून के संगत प्रासंगिक नियमों के समान होने चाहिए। ..."

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. इस प्रकार, विधिक स्थिति, पक्षों की दलीलों और ऊपर उल्लेखित तथ्यों पर विचार करते हुए, यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत रिट याचिका में रिट कोर्ट के समक्ष शपथ पर कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया गया है कि उत्तरवादी संख्या 6 भा.द.सं. की धारा 395 के अधीन अपराध के लिए मुकदमा चला रहा था और उत्तरवादी संख्या 6 से संबंधित अभिलेख की मांग करने के लिए केवल कुछ प्रार्थना की गई है, और विशेष रूप से इस तथ्य पर विचार करते हुए कि रिट याचिका उस दिन लंबित थी और अब इस रिट अपील के साथ निपटाई जा रही है, हालांकि एक अलग आदेश द्वारा, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है कि शिकायत में स्पष्ट रूप से दुर्भावना है और इसे बदला लेने के गुप्त उद्देश्य से दुर्भावनापूर्ण रूप से स्थापित किया गया कहा जा सकता है जैसा कि भजन लाल के प्रकरण (पूर्वोक्त) के पैराग्राफ 102 के खंड (7) में सुप्रीम कोर्ट के उनके आधिपत्य द्वारा माना गया है न्यायालय ने माना कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन असाधारण शक्ति का प्रयोग किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा

सकता है और उनके द्वारा बताई गई श्रेणियों में से एक वह है जहां आपराधिक कार्यवाही स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से की जाती है और / या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से अभियुक्त पर बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे परेशान करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है। इस प्रकार, हमारा विचार है कि पहली शिकायत में लगाए गए आरोप को भले ही उसके अंकित मूल्य पर लिया जाए और उसकी संपूर्णता में स्वीकार किया जाए, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या भा.द.सं. की धारा 501 के अधीन अपीलकर्ता के खिलाफ कोई प्रकरण नहीं बनता है।

22. अंत में, रिट अपील स्वीकार की जाती है और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को अपास्त किया जाता है। अपीलकर्ता को दोषमुक्त माना जाएगा और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के न्यायालय में लंबित आपराधिक प्रकरण संख्या 833/2006 (श्री प्रकाश चौबे बनाम मोहम्मद अरशद खान) जिसमें आरोप तय करने का आदेश भी शामिल है, को निरस्त किया जाता है।

सही/–	सही/–
(पी.आर. रामचंद्र मेनन)	(संजय के. अग्रवाल)
मुख्य न्यायाधिपति	न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।